

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

उपर्युक्त कामिक लोक शिकायत तथा पेशन भवालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

कामिक और प्रशिक्षण विभाग

DEPARTMENT OF PERSONNEL &amp; TRAINING

नई दिल्ली

NEW DELHI

दिनांक १२ अगस्त, १९९९

## कायालिय जापन

**विषय:- मंत्रियों के व्येक्षिकत्व स्टाफ में नियुक्त उच्च आयु सीमा तथा शैक्षणिक दक्षता अहताओं में छूट संबंधी।**

मुझे, उपर्युक्त विषय पर, इस विभाग के दिनांक २१.१.१९८८ के काठौड़ों से० ८/७/८७-के०से०-।। और दिनांक ८.३.१९९९ के काठौड़ों से० ८/५/१९९८-के०से०-।। में निहित अनुदेशों का हवाला देने और यह कहने का निर्देश दुखा है कि इस विभाग द्वारा मंत्रियों के व्येक्षिकत्व स्टाफ पर कर्मचारियों की तदनुरूप पदों हेतु नियुक्तियों में उच्च आयु सीमा तथा टैक्षण एवं आशुलिपिक ख्यीड भवित शैक्षणिक अहताओं में छूट देने संबंधी मामले की समीक्षा की गई और इस सम्बन्ध में किए गए समेकित नियंत्रणानुसार हैं :-

- १।१ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि होने से, मंत्रियों के साथ नियुक्त व्येक्षिकत्व स्टाफ की क्वियान ५८ वर्षों की उच्च आयु सीमा को भी बढ़ाकर ६० वर्ष कर दिया गया है।
- १।२ मंत्रियों के व्येक्षिकत्व स्टाफ पर कर्मचारियों की नियुक्तियों में उच्च आयु सीमा में छूट देने संबंधी प्रस्ताव पर इस विभाग के माध्यम से प्रधानमंत्री का अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा।
- १।३ मंत्रियों के व्येक्षिकत्व स्टाफ हेतु शैक्षणिक/दक्षता अहताएं, सरकारी तदनुरूप/समतुल्य पदों के समान होनी चाहिए। जहाँ तक दक्षता अहता का संबंध है यदि सरकारी कर्मचारी के मूल पद के कार्य की प्रकृति समान है तो उसे सत्यापित करने की कोई जावश्यकता नहीं है। अन्य मामलों में संस्थान के आशुलिपिक/टैक्षण की जानकारी होने संबंधी प्रमाणपत्र पर जोर दिया जाए।
- १।४ माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार मंत्रियों के व्येक्षिकत्व स्टाफ हेतु शैक्षणिक और दक्षता अहताओं में कोई छूट नहीं होगी।

१ सुनील गुप्ता १

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

- १।५ भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
- १।६ संसदीय कार्य मंत्रालय/श्री पी०एस०मलहोत्रा, अवर सचिव की दिनांक २५.६.१९९९ की य०आ०से० ३४१२४/९०-प्रश्ना०
- १।७ व्यय विभाग, रजी०ब्रांच, नार्थ क्लास, नई दिल्ली।